रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 378] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 1969/कार्तिक 15, 1891

No. 378] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 1969/KARTIKA 15, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November 1969

S.O. 4540.—In exercise of the powers conferred by section 28 of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Central Government, after consulting the Election Commission, hereby makes the following rules further to amend the Registration of Electors Rules, 1960, namely:—

1. **Short title.**—These rules may be called the Registration of Electors (Third Amendment) Rules, 1969.

2. **Amendment of Rule 12.**—In rule 12 of the Registration of Electors Rules, 1960—

(a) in sub-rule (1), after the words and figures 'under rule 10', the words 'or such shorter period as may be fixed by the Election Commission in this behalf' shall be inserted;

(b) sub-rule (2) shall be omitted.

[No. F. 7(8)/69-Leg.II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Jt Secy.

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1969

का० आ० 4541.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करने के पश्चात् निर्वाचक रजिष्ट्रीकरण नियम, 1960, में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम—ये नियम निर्वाचक रजिष्ट्रीकरण (तृतीय संशोधन) नियम, 1969 कहे जा सकेंगे ।

2. नियम 12 का संशोधन—निर्वाचक रजिष्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 12 में—

(क) उपनियम (1) में नियम 10 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की कालावधि के अन्दर' शब्दों के पश्चात् 'या ऐसी लघुतर कालावधि के अन्दर जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त नियत की जाऐ शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) लुप्त कर दिया जाएगा ।

[सं० एफ० 7(8)69—लेजि० II]

एन० डी० पी० नम्बूदिरिपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969